कार्यालय उपायुक्त, श्रम–रोजगार, मीरजापुर।

पत्रांक– /मनरेगा सेल/2018–19 दिनांक–जून, 12 2019

ई–टेन्डरिंग

विषयः महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी (मनरेगा) योजनान्तर्गत संविदा के विभिन्न पदों की सेवा प्राप्त किये जाने हेतु सेवा प्रदाताओं के चयन हेतु निविदा आमंत्रण के सम्बन्ध में।

जिलाधिकारी महोदय, मीरजापुर के स्वीकृति दिनांक 14.02.2019 एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास उ0प्र0 के कार्यालय पत्रांक मनरेगा/जे0सी0पी0–पी/पत्रा0सं0–498/3387/ 2018 एवं भारत सरकार के अधिसूचना दिनांक 20 जून, 2013 के अनुपालन में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अर्न्तगत जनपद एवं विकास खण्डों पर वर्तमान में मानदेय आधार पर कार्मिक के पद रिक्त हैं, जिसके सापेक्ष्य उक्त मनरेगा कार्मिक की सेवायें सेवा प्रदाता के माध्यम से लिया जाना है, जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

क्र0 सं0	पद का नाम	निर्धारित शैक्षिक योग्यता व अनुभव	अधिकतम देय मानदेय प्रति माह
1	अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी	शैक्षिक योग्यता/शैक्षिक अर्हता स्नातकोत्तर। अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी के कार्य में वित्तीय प्रबन्धन आपूर्ति श्रंखला प्रबन्धन तथा कम्प्यूटर का ज्ञान की अनिवार्यता को दृष्टिगत रखते हुये एम0बी0ए0/एम0सी0ए0/एम0एस0डब्लू0/बी0टेक0/बी0ई0 उपाधि धारकों को विशेष अधिमान दिया जायेगा। उक्त योग्यताधारी अभ्यर्थी की अनुपलब्धता की स्थिति में एम0ए0 (सामाजिक कार्य, अर्थ शास्त्र, अपलाईड ईकोनोमिक्स) और एम0काम0 की सेवायें प्राप्त की जा सकती हैं। आयु–अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी हेतु निर्धारित आयु सीमा 21 से 35 वर्ष होनी चाहिये। पदों की सं0–05	28000
2	कम्प्यूटर/डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	शैक्षिक योग्यता– ओ0 लेवेल अथवा समकक्ष आयु– आयु सीमा 21 से 35 वर्ष होनी चाहिये। पदों की सं0– 05	11200

इस कार्यालय के पत्रॉक 912/मनरेगा सेल/2018–19 दिनॉक 28 फरवरी, 2019 से प्रचलित टेण्डर प्रक्रिया समिति की आम सहमति न बनने एवं कोरम पूर्ण नहीं होने के कारण निरस्त की गयी।

सेवा प्रदाता के चयन हेतु ई–टेन्डरिंग किया जाना है। इच्छुक सेवा प्रदाता द्वारा दिनांक 12.06.2019 से 18.06.2019 के अपरान्ह 5.00 बजे तक ई–टेन्डरिंग के माध्यम से ई निविदा आमंत्रित की जाती है। दिनांक 18.06.2019 को सांयः 5:00 बजे निविदा खोली जायेगी। टेक्निकल विड के उपरान्त ही वित्तीय विड खोला जायेगा। निविदा समिति द्वारा निविदा दाताओं के उपस्थिति में निविदा खोली जायेगी। वेबसाईट http//etender.up.nic.in पर निविदा से सम्बन्धित समस्त विवरण एवं विस्तृत शर्तें तथा विडिंग डाक्युमेन्ट ऑन लाइन देखे जा सकते हैं।

सेवा प्रदाता हेतु नियम एवं सेवा शर्तेः–

फार्म सं0 01 (टेक्निकल बिड)–

उपरोक्तानुसार निम्न शर्तों के अधीन सेवा प्रदाताओं से सेवा प्रदान करने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है–

1– आवश्यकतानुसार उपरोक्त सेवायें हेतु समय–समय पर मांग के अनुरूप अतिरिक्त आपूर्ति भी सेवा प्रदाता को सुनिश्चित करना होगा।

2– सेवा प्रदाता के लिये कम्पनी के रूप में 03 वर्ष से पंजीकरण होना आवश्यक होगा।

3– सेवा प्रदाता कम्पनी का टर्नओवर कम से कम 03 करोड़ रूपये प्रति वर्ष होना अनिवार्य होगा, परन्तु वह धनराशि 01 करोड़ रूपये से कम नही होगा।

4– सेवा प्रदाता कम्पनी के लिये आयकर दाता होना अनिवार्य होगा।

5– सेवा प्रदाता कम्पनी के लिये सरकारी विभागों, संस्थाओं, निगमों व प्रतिष्ठानों को मैनपावर सप्लाई करने का 03 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य होगा।

6– सेवा प्रदाता कम्पनी द्वारा कम से कम 02 वर्षो की आडिट बैलेंस शीट दिया जाना अनिवार्य होगा।

7– कम्पनी द्वारा किसी राजकीय या अन्य विभाग में काली सूची में न होने का प्रमाण हलफनामे के रूप में दिया जायेगा।

8– कम्पनी के लिये चयन की स्थिति में यह अनिवार्य होगा कि वह 21 दिन के अन्दर कम से कम 60 प्रतिशत स्टाफ की सेवायें उपलब्ध करा दें एवं 40 प्रतिशत की सेवायें अगले 15 दिनों के अन्दर उपलब्ध करायें।

9– सेवा प्रदाता द्वारा कार्मिकों की सेवायें प्राप्त करते समय प्रत्येक पद के लिये शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10– कार्मिकों को दी जाने वाली धनराशि में से प्रदाता द्वारा कोई कटौती नहीं की जायेगी यदि ऐसा किया जाता है तो सेवा प्रदाता की सेवायें समाप्त कर दी जायेगी तथा विभाग में सेवा प्रदाता का ब्लैक–लिस्ट करने की कार्यवाही की जायेगी। सर्विस चार्जेज आदि का भुगतान कम्पनी को अलग से किया जायेगा।

11– कार्मिकों की सेवा वापसी लेने अथवा हटाने के संबंध में प्रक्रिया अलग से निर्धारित की जायेगी।

12– अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी व अन्य कार्मिकों की सेवा के लिये अलग–अलग सेवा प्रदाताओं का चयन भी किया जा सकता है।

13– कर्मचारी भविष्य निधि/ई0पी0एफ0/अन्य देयक का जो भुगतान/कटौती शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जायेगा वह उभय पक्ष द्वारा नियमानुसार देय होगा।

14– सेवा प्रदाता द्वारा उपरोक्त शर्तों/निर्देशों का उल्लंघन किये जाने पर सेवा प्रदाता की सेवायें सूचना देते हुये अथवा बिना सूचना दिये समाप्त कर दी जायेगी तथा उनके द्वारा जमा की गयी प्रतिभूति की धनराशि जब्त करते हुये सम्पूर्ण प्रदेश के लिये ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा।

15– किसी प्रकार की विधिक विवाद उत्पन्न होने पर जनपद में स्थित समक्ष न्यायालय तथा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की क्षेत्रीयधिकारिता ही रहेगी।

Dc NGN BRUGA

16– सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा मानव संसाधन के चयन में अपनाये जाने वाली प्रकिया तथा कम्पनी/फर्म के पास उपलब्ध प्रशिक्षण केन्द्र की सूची संलग्न करना है।

17– सेवा प्रदाता एजेन्सी कम्पनी एक्ट 1956 के तहत कम्पनी अथवा इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत फर्म के उद्देश्य में मैन पावर का सप्लाई का उल्लेख होना अनिवार्य होगा।

18– टेण्डर फीस रू0 1000.00 डी0सी0 मनरेगा, मीरजापुर के नाम से डिमाण्ड ड्राफ्ट देय होगा।

19– अर्नेस्ट मनी के रूप में मु0 50,000.00 का डिमाण्ड ड्राफ्ट डी0सी0 मनरेगा के नाम से देय होगा, जिनकी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी उसे अर्नेस्ट ड्राफ्ट वापस कर दिया जायेगा।

20– सेवा प्रदाता को उपरोक्त समस्त साक्ष्य/अभिलेख उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। सेवा प्रदाता को एजेन्सी का सर्विस टैक्स क्लीरियंस (जमा करने का) करेन्ट सर्टिफिकेट तथा रजिस्ट्रेशन संलग्न करना है।

फार्म सं0 2 (वित्तीय बिड का फार्म संलग्न है)

1– सेवा प्रदाता एजेन्सी का नाम–

2– सेवा एजेन्सी का पता–

3– सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा लिया जाने वाला सर्विस चार्ज–

4– सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा लिया जाने वाला सर्विस टैक्स–

निविदा से सम्बन्धित विस्तृत सूचना एवं सेवा शर्तों तथा पदों की आवश्यकता आदि सन्दर्भ में सूचना प्राप्त करने हेतु कार्यालय उपायुक्त, श्रम–रोजगार, (विकास भवन), मीरजापुर में किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित होकर प्राप्त कर सकते हैं।

(मो0 नफीस)
उपायुक्त, श्रम–रोजगार,
मीरजापुर।

पत्रांक – 104

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– जिलाधिकारी, मीरजापुर महोदय को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

2– मुख्य विकास अधिकारी महोदया को अवलोकनार्थ प्रेषित।

3– जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, मीरजापुर को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त ई–टेन्डरिंग एन0आई0सी वेब साइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

4– जिला सूचना अधिकारी, मीरजापुर को निःशुल्क प्रकाशनार्थ।

12/08/19
उपायुक्त, श्रम–रोजगार,
मीरजापुर।